निजता के अधिकार पर आपका कितना अधिकार?

4

एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कैसे सुरक्षित रखें संविधान से मिला अपना यह अनमोल अधिकार

रिपब्लिक डे 26 जनवरी स्पेशल

भारतीय संविधान ने भारत के हर नागरिक को निजता का अधिकार दिया है। यह अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। लेकिन आज के डिजिटल युग में सबसे पहले आपकी निजी जानकारी ही मोबाइल में कैद होती है, जिसके सारे सारी दुनिया से जुड़े हैं। आपकी लोकेशन से लेकर पसंद-नापसंद तक पता की जा सकती है। इतनी आसानी से आपकी निजता भंग होना कौतुहल पैदा करता है। ऐसे में क्या आप कह सकते हैं कि आपकी निजता का अधिकार सुरक्षित है? एनबीटी ने कुछ विषय विशेषज्ञों के जरिए गणतंत्र दिवस के मौके पर इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की:

नवभारत टाइम्स । मुंबई।
मंगलवार, 26 जनवरी 2021

सावधान! आपका मोबाइल सब जानता है

एक्सपर्ट्स

रितेश भाटिया
(साइबर क्राइम इंवेस्टीगेटर, पिछले 20 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत)

निराली भाटिया
(साइबर मनोवैज्ञानिक, पिछले दस साल से इस क्षेत्र में कार्यरत)

Damodar.Vyas@timesgroup.com

■ **मुंबई:** विशाल ने एक बार चौपाटी पर भेल खाते हुए अपने बैंक से जुड़े कागज देखें। इन्हीं कागजों पर विशाल को भेल परोसी गई थी। ये नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो सोचने लगा कि उसने कब और कैसे ये कागज किसी को दिए। यदि विशाल की तरह आप भी ऐसे ही किसी कागज के बारे में सोच रहे हैं, तो सावधान! डिजिटल दुनिया में आपकी निजता को खतरा हो सकता है। यहां जाने अनजाने में हजारों बार आपने अपनी पहचान और निजी जानकारियों को सांझा किया जाता है। जिस दौर में व्हाट्सएप पर आपके आधार कार्ड की कॉपी भर शेयर करने से आपके नाम पर बैंक अकाउंट खुलता हों और लोन भी ले लिए जाता हो, उस दौर में निजता का अधिकार जानने के लिए हमें एक्सपर्ट्स के विचार जान लेने चाहिए।

हमारे यहां डेटा प्राइवेसी का कानून ही नहीं

रितेश भाटिया बताते हैं कि कई विदेशी मुल्कों में बीच पर किसी का फोटो लेने के लिए भी आपको अनुमति की जरूरत होती है, लेकिन यहां डेटा प्राइवेसी का कानून ही नहीं है। हमारे पास ऐसे कई मामले आते हैं जिसमें महज आधार कार्ड की कॉपी ऑनलाइन मांग कर कोई बैंक अकाउंट बना लेता है, लोन तक ले लेता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि KYC पर समझौता करने वाले बैंक्स पर जब कोई कार्रवाई नहीं होती, तो सोशल मीडिया तो अभी पहुंच से बहुत दूर है। रितेश कहते हैं कि हम और आप जब फोन पर किसी कार के बारे बात भी करते हैं, तो सोशल मीडिया पर उससे संबंधित ऐड आने लगते हैं। इसलिए डिजिटल दुनिया में निजता के अधिकार को बचाए रखने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी।

प्राइवेसी को नियंत्रित करने के 3 स्तर

कंपनी, स्टोर और यूजर तीनों पर है प्राइवेसी की जिम्मेदारी

1. कंपनी जो वेबसाइट या ऐप बना रही है, उसके डेवलपमेंट के दौरान कंट्रोल्स किए जा सकते हैं। क्या उस वेबसाइट या ऐप को आपकी निजी जानकारी का एक्सेस चाहिए और चाहिए, तो उनका उपयोग कैसे होगा?
2. ऐप इंस्टॉल करने वाले स्टोर जहां ऐप स्टोर या प्ले स्टोर निश्चित करता है कि उपयोगकर्ता की कितनी और किस स्तर की जानकारी हासिल करनी है।
3. अंतिम लेवल है यूजर का, जहां उसके हाथ में है कि वो किस ऐप को कौनसी जानकारीका एक्सेस देना चाहता है।

अधिकतर लोग 'बाय डिफॉल्ट' हैं

निराली बताती हैं कि अधिकांश कंपनियां डेवलप के लेवल पर ही सुनिश्चित नहीं करती कि यूजर की कितनी जानकारी चाहिए। ऐसे में बाय डिफॉल्ट सभी सेटिंग ऑन रहती हैं। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर ऐप आराम से अपलोड की जाती है, जबकि ऐपल इस मामले में गंभीर है। निराली बताती हैं कि अपने देश में बमुश्किल दस प्रतिशत लोग जानते होंगे कि किस ऐप को कितना एक्सेस देना है।

'प्राइवेसी और पब्लिक होने में अंतर नहीं'

निराली बताती हैं कि लॉकडाउन के बाद से अब तक उन्हें ऑनलाइन सेक्सुअल हैरासमेंट की 5 हजार से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। लॉकडाउन के दौरान मुलाकात संभव नहीं होने के कारण भी लोगों के बीच कई अंतरंग बातें और फोटो शेयरिंग ऑनलाइन माध्यम से हुई। अब लोग ब्लैकमेलिंग में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस स्थिति के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि उन्हें कहां रुकना है। प्राइवेसी और पब्लिक होने में अब भी कोई अंतर नहीं है, यहां अंतर है टेक्नोलॉजी का जिसका ज्ञान होना जरूरी है।

सीधे सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं गुहार

भारतीय संविधान ने देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कई अधिकार दिए हैं, जो हर नागरिक को कानूनन संरक्षण देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है, इसलिए अगर किसी नागरिक के जीने के अधिकार, निजता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार में खलल पड़ता है, तो वह अदालत की चौखट पर जाकर अपने अधिकारों के संरक्षण की गुजार लगा सकता है।

प्रत्येक नागरिक को निजी जीवन या निजी मामलों अथवा अपने पारिवारिक मामलों में बिना किसी मनमाने अथवा विधि विरुद्ध या बाहरी हस्तक्षेप के एक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। उसे यह अधिकार निजता के अधिकार से मिला हुआ है। निजता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं, जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है और अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अथवा संस्थान जिसमें सरकार से लेकर जांच एजेंसी तक शामिल हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपने अधिकारों की संरक्षण के लिए गुहार लगा सकता है।

एक्सपर्ट

आभा सिंह
सामाजिक कार्यकर्त्ता और वरिष्ठ वकील

निजता के अधिकार में क्या-क्या शामिल

निजता के अधिकार में व्यक्तिगत रुझान, पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, दो वयस्क लड़का-लड़की को साथ चुनने की आजादी, खानपान संबंधी आदतें, बच्चे पैदा करने का निर्णय आदि शामिल हैं। अगर इसमें कोई खलल डालता है अथवा किसी के निजी जीवन में तांक-झांक करता है, तो वह कानूनन निजता का उल्लंघन करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति फोन टेपिंग, किसी के सार्वजनिक स्थान पर बैठने, किसी के कल्याण के नाम पर उसका अधिकार छीनना गलत है। आजकल जांच एजेंसियां लोगों की फोन टेपिंग कर लेती हैं। अगर यह कृत्य विधि विरुद्ध किया जा रहा है, तो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसीलिए लोगों को अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं।

(नवीन पांडेय से हुई बातचीत के आधार पर)

निजी जानकारी देने से पहले खुद से करें यह सवाल

मीडिया की निगाहों के सामने, संविधान की एक-एक पंक्ति पर बहस की गई थी

जब भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई, उससे आठ महीने पहले जापान में उसकी संसद डाइट के सामने मंजूरी के लिए एक नया संविधान प्रस्तुत किया गया। हालांकि, वहां के संविधान का वह दस्तावेज पूर्ण रूप से विदेशियों द्वारा लिखा गया था। फरवरी, 1946 के शुरुआत में चौबीस आदमियों के समूह की, जिसमें सभी अमेरिकन थे और उनमें सोलह सेना के अधिकारी थे, टोकियो की एक परिवर्तित नृत्य शाला में बैठक हुई। यहां वे एक सप्ताह तक बैठक करते रहे और एक संविधान बनाया, जिसे उनके हिसाब से जापानियों को स्वीकार करना था। उसके बाद उस दस्तावेज को महज दिखाने भर के लिए जापानी राजनेताओं के सामने प्रस्तुत किया गया, जिन्हें जापान के हिसाब से उसे ढालना था और जापानी भाषा में अनुवाद करना था। संविधान के उस मसौदे को यूं तो जापानी संसद में भी पेश किया गया, लेकिन उसके प्रस्तुत संशोधन के लिए भले ही वह मामूली ही क्यों न हो, अमेरिकन अधिकारियों से इजाजत ली गई।

इसकी तुलना में भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल उलट थी। पहला संविधान बिल्कुल गुप्त रूप से बनाया गया था, जबकि दूसरे संविधान पर पूरे मीडिया की निगाहों के सामने, उसकी एक-एक पंक्ति पर बहस की गई थी। एक संविधान को विदेशी लोगों द्वारा आनन-फानन में तैयार किया गया था, जबकि दूसरे को उसी देश के लोगों द्वारा सालों चली बहस के बाद अंतिम रूप दिया गया था। हालांकि कुछ मिलाकर ये बात स्वीकार की जा सकती है कि उनके अलग-अलग परिपेक्ष्यों के बावजूद दोनों ही संविधान अपने सार में मानवीय मूल्यों की वकालत कर रहे थे।

(प्रख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा की चर्चित पुस्तक 'भारत गांधी के बाद' से साभार)

तीन मामलों से समझें किस तरह से बिना सोचे-समझे जानकारी शेयर करना पड़ सकता है भारी

Manish.Jha
@timesgroup.com

■ **मुंबई:** आप अपनी ओर से सोशल मीडिया या किसी ऐप पर अपनी कोई भी जानकारी दे रहे हैं, तो एक बार खुद से पूछें कि क्या वाकई इसकी सामने वाले को जरूरत है? अकसर अनावश्यक तौर पर जानकारी शेयर करने से लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। साथ ही आपकी गोपनीय जानकारी का कोई भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। तीन उदाहरणों से जानिये किस तरह से न सिर्फ लोगों की निजता भंग हो रही है, बल्कि वे ठगी के शिकार भी हो रहे हैं।

कोई जॉब तो नहीं मिली, ठगी हो गई

केस-1

सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर जॉब सर्च करने के बाद मेरे जीमेल और अन्य मीडिया अकाउंट्स पर जॉब से संबंधित विज्ञापन आने लगे। इनमें से एक विज्ञापन मूवीक्विक डॉट कॉम नाम से था। जिस पर जॉब का आकर्षक ऑफर था। पूरी जानकारी भरने पर नौकरी मिलना तो दूर, उल्टे ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होकर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। जल्दबाजी में सोशल मीडिया पर ब्लिंक होने वाले हर जॉब सर्च पोर्टल को बिना सोचे-समझे ओपन नहीं करनी चाहिए।

- शीतल मिश्रा, नौकरीपेशा, कांदीवली

मेहनत की कमाई चंद पलों में गायब

केस-2

लॉकडाउन में पैसों की तंगी रही। नकद के बदले डिजिटल रूप से पैसे मिल रहे थे। एक बैंक के एटीएम में कार्ड से पैसे निकालने के बाद मोबाइल पर आए संदेशों ने ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बना दिया। मेहनत की कमाई चंद पलों में किसी ने छीन ली। काफी दिन तनाव में जिंदगी गुजराने को मजबूर रही। अब जाकर सामान्य हुई हूं, लेकिन पैसों की कमी अभी भी सालती है। अब एटीएम सेंटर में प्रवेश करने से पहले काफी सतर्कता बरतती हूं।

- कंचन झा, गृहिणी, विरार

सोशल मीडिया पर जानकारी सार्वजनिक न करें

केस-3

अज्ञात लोगों द्वारा फेसबुक आईडी हैक कर उसके जरिए पैसों की जरूरत और मदद करने के बहाने भेजे जाने वाले संदेशों के कारण ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते-होते तो मैं बच गया, लेकिन शुभचिंतकों द्वारा कई दिनों तक पूछे जाने वाले सवालों से काफी दिन तक परेशान रहा। आखिरकार दहिसर साइबर सेल का रूख किया और फेसबुक अकाउंट समेत अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स का सेटिंग्स बदलने के बाद चेन मिला। सामाजिक या कारोबारी जीवन जीने वाले व्यक्तियों के लिए मेरी सलाह है कि वे सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर काफी सतर्कता बरतें। सोशल मीडिया के जानकार लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अपडेट्स और चेक कराते रहें।

- राजीव सिंघल, ट्रस्टी, भारत मर्चेंट चेंबर, मुंबई

यूजर्स को बताए बिना सूचना का इस्तेमाल करना गलत

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ प्राइवेसी का मैनेजमेंट एक सामूहिक मुद्दा बन चुका है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय यूजर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि सर्विस प्रोवाइडर के पास किस तरह का डेटा उपलब्ध हो रहा है और वे उस डेटा के साथ क्या करते हैं। डेटा के संदर्भ में समस्या सर्विस प्रोवाइडर या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में नहीं है, बल्कि मूल बात यह है कि यूजर्स को जानकारी दिए बिना ही कुछ कंपनियां इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही हैं। उदाहरण के लिए हम फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका केस की स्टडी कर सकते हैं।

एक्सपर्ट

शिवांक अग्रवाल,
फाउंडर, मित्रो ऐप

किसी भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के लिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है। साथ ही कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने तमाम यूजर्स के विश्वास को बनाए रखें और संबंधित देश के कानून का पालन करें। मेरा मानना है कि कंपनियां प्राइवेसी के सरंक्षण के लिए काफी गंभीर हैं। उन्हें पता है कि इसके यूजर्स के लिए क्या मायने हैं। हालिया रिसर्च में पता चला है कि सोशल मीडिया यूजर्स प्राइवेसी के कुछ मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन जब जानकारी कई यूजर्स के बीच साझा की जाती है, तब वे इसकी गोपनीयता के लिए एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क पर जैसे ही कोई सूचनाएं साझा होती हैं, यूजर्स का उस सूचना पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता।

सोशल मीडिया कंपनियां व्यापार सेवा गोपनीयता नीति में वर्णित नियमों के अंतर्गत ही व्यावसायिक डेटा एकत्र करती हैं। ऐसे में कमर्शियल यूज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है कि यूजर्स के जागरूक होने की।

(सुधा श्रीमाली से हुई बातचीत के आधार पर)

स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरे की आजादी के सम्मान से जीवित

देश में नेता, अभिनेता और अन्य लोग सोशल मीडिया पर आए दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर टीका-टिप्पणी करते रहते हैं। ऐसे में मामला कोर्ट में पहुंचता है। इस 'संविधान ने देश की हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं, फिर चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति हो या फिर जिस पर टिप्पणी की गई हो। इसलिए कोई भी स्वतंत्रता निरंकुश नहीं हो सकती है। जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है, वहीं से हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। हमारी स्वतंत्रता की सीमा, दूसरे की आजादी के सम्मान से जीवित रहती है।

'आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके चलते लोग अपनी विचारों और भावनाओं को बेखौफ व्यक्त कर पा रहे हैं। यह संविधान द्वारा दिया गया हर नागरिक का अधिकार है। इसीलिए भले ही इसका दुरुपयोग हो, लेकिन इसकी प्रासंगिकता हर समय में है। वरना ताकतवर लोग अपने से दुर्बल लोगों को बोलने भी नहीं देंगे।' बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (अ-ई) के माध्यम से हर नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी है है। साथ ही 19 (2) में युक्तियुक्त बंधन भी लगाए गए हैं। बंधन इसलिए भी जरूरी हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति, समूह अथवा राज्य संस्था अपने अधिकारों को लेकर निरंकुश न हो।

वर्तमान में सोशल मीडिया के जरिये इसका सदुपयोग या दुरुपयोग दोनों हो रहा है। 10 जनवरी 2020 को कश्मीर में नेट बंदी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 'बेहद जरूरी हालात में ही इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट) के रूप में इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। अतः भारतीय समाज, न्यायपालिका और संसद ने हमेशा ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। लेकिन इसका दुरुपयोग गैरजिम्मेदार नागरिकों, असामाजिक तत्वों और देश विरोधी ताकतों द्वारा करके संविधान को चोटिल करने का प्रयास होता है। 19(2) में ऐसे लोगों को रोकने की व्यवस्था है। आज की मीडिया लोगों की निजता के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाता है। जिससे भले ही समाज के दबे हुए मुद्दों को स्वर मिला, लेकिन इसी जल्दबाजी में, मीडिया लोगों के बेडरूम तक की खबरें दिखाने की जल्दी में लक्ष्मण रेखा पार कर जाता है। इसी प्रकार अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, देश विरोधी नारे लगाने, भारत के अंतरराष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने अथवा समाज में जातीय या धार्मिक उन्माद फैलाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए।

(नवीन पांडेय से हुई बातचीत के आधार पर)

एक्सपर्ट

डॉ. रवि रमेशचंद्र
आरडी नैशनल कॉलेज के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर

धार्मिक स्वतंत्रता पर दूसरे दरवाजे से अंकुश की कोशिश

एक्सपर्ट

उल्हास बापट,
संविधान विशेषज्ञ

भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय सबसे ज्यादा जोर सेक्युलरिज्म पर दिया है। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 25 से 28 तक देश में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया है। भारतीय संविधान में साफ-साफ कहा गया है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का, आचरण करने का तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जीने के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति कोई धर्म नहीं मानता तो भी कोई अपराध नहीं है। यानी कोई व्यक्ति बड़े से बड़े पद पर रहते हुए अपना धर्म पालने के लिए स्व तंत्र है। लेकिन मौजूदा दौर में संविधान चलाने वाले ही सबसे ज्यादा उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए देश में धार्मिक स्वतंत्रता थोड़ी सिकुड़ सी गई है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में बन रहा लव जिहाद कानून है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार के तहत अधिकार दिया है कि हम बालिग होने पर किसी के साथ शादी कर सकते हैं या जीवनसाथी चुन सकते हैं। हम स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकते हैं या किसी भी धर्म में धर्मांतरण कर सकते हैं, लेकिन अब उस पर दूसरे दरवाजे से अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। संविधान में समय के साथ बदलाव होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व है कि वह संविधान की रक्षा करे। लव जिहाद कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई कानून ही नहीं है।

■ देश में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी शुरू से थी, क्योंकि हमारा संविधान इंदिरा गांधी द्वारा 42 वें संविधान संशोधन के पहले से सेक्युलर है। हां, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष की जगह पंतनिरपेक्ष करके स्थिति और साफ कर दी है। भारतीय संविधान की देन है कि देश में धर्म- जाति के नाम पर कोई किसी को ऊंचा या नीचा नहीं दिखा सकता।

■ नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही संविधान में अनुच्छेद 17 का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत किसी से धार्मिक आधार पर भेदभाव करने पर आपके खिलाफ कानूनी अपराध का मामला बनता है। लेकिन मौजूदा दौर में भी कहीं-कहीं आज भी धार्मिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव की खबर आती है। इसलिए लोगों को शिक्षित होना होगा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा।

■ अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें हर तरह की आजादी और स्वतंत्रता दी है। उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। जिस तरह दूसरे लोग देश के नागरिक हैं, उसी तरह एक सामान्य व्यक्ति भी देश नागरिक है। हमारे संविधान ने देश के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिया है।

■ चाहे वह वोटिंग का अधिकार हो या पूजा करने का या कोई धर्म मानने का हो या शिक्षा ग्रहण करने का। इसमें कोई हस्तक्षेप करता है, तो वह कानूनी अपराध है। वह व्यक्ति दंड का पात्र है। यह हमारे संविधान की ही देन है कि लोगों की धार्मिक आजादी अब भी बरकरार है। एक या दो घटनाओं से इसका पैमाना नहीं मापा जाना चाहिए।

(बृजेश त्रिपाठी से हुई बातचीत के आधार पर)

> साइबर क्राइम के शिकार बने पीड़ित लोग आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर प्रभावित होते हैं। लेकिन जिस हिसाब से समाज में साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता फैल रही हैं, उससे वह दिन दूर नहीं जब लोग अज्ञात कॉल्स, ऑडियो-विडियो संदेश अथवा प्रलोभन युक्त लिंक्स व अन्य सामग्रियों को पहचान कर उसे नजरअंदाज करेंगे।
>
> बालसिंग राजपूत,
> साइबर विभाग के एसपी

> तकनीक आधारित उपकरणों अथवा सुविधाओं का सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने का दूसरा पहलू साइबर क्राइम भी है। इसलिए अगर हम संवैधानिक अधिकारों के तहत तकनीक आधारित सामग्रियों व सूचनाओं को जानने का अधिकार रखते हैं, तो हमें इसके साइड इफेक्ट यानी दूसरा पहलू भी जानने चाहिए, जिनमें साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार एवं उनसे बचाव व सतर्कता बरतने के उपाय शामिल हैं।
>
> डॉ रश्मि करंदीकर,
> साइबर क्राइम ब्रांच की डीसीपी

> ट्रेडिशनल क्राइम का शिकार लोग तो कानूनी कार्यवाही से दो-चार हो जाते हैं, लेकिन साइबर क्राइम के शिकार हुए लोगों को कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई के साथ-साथ खुद से, परिवार से, समाज से और पूरी व्यवस्था से लड़ना पड़ता है। इससे उनके संवैधानिक अधिकार निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं और वे संविधान प्रदत्त मान्यताओं एवं अधिकारों पर एक हद तक अविश्वास भी करने लगते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम मामले की लचर जांच प्रक्रिया एवं न्यायिक व्यवस्था अपने देश में बहुत धीमा है।
>
> डॉ प्रशांत माली,
> साइबर क्राइम एक्सपर्ट

> समय के साथ-साथ तकनीकी जानकारी एवं इससे संबंधित अद्यतन यानी लेटेस्ट सूचनाओं के अलावा समय-समय पर स्थानीय पुलिस अथवा साइबर विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना ही साइबर क्राइम से बचाव का उपाय है। इसके अलावा टेक सेवी व्यक्ति समझदारी, धैर्य, सतर्कता व सूझबूझ के अलावा तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, तो वे निश्चित रूप से साइबर क्राइम से बचे रह सकते हैं।
>
> - यशस्वी यादव,
> साइबर विभाग के आईजीपी